FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

शिवराज पुत्र छगना जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर

–प्रार्थी

बनाम

1. रामकन्या पत्नि रामचन्द्रा जाति रेगर निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई व अन्य

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– धारा 251 (क) भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 38/ 2025

ऑनलाइन नंबर 2025 / 79

वकील वादीः– डॉ0 रामदेव गूर्जर **वकील प्रतिवादीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.07.2025	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री डॉ0 रामदेव गूर्जर ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो।** उपखण्ड अधिकारी अरांई	
22-8-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी संख्या 1,3,4 की ओर से वकील योगेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा आदेश 07 R 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी नकल दिलाई गई। वास्ते जवाब व बहस हेतु दिनांक 12.9.25 को पेश हो।	
12.9.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। वकील प्रार्थी द्वारा 07 R 11 का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल दिलाई गई। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 19.9.25 को पेश हो।	

19.9.25. पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावादी उप0। तहसील से मौका जांच रिपोर्ट ~~अप्राप्त~~ हेतु तहरीर जारी हो पत्रावली दिनांक 15।10।25 को पेश हो। WB

15।10।25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारगण उप. हैं। तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त [illegible] बाबत मौका रिपोर्ट हेतु.................
पत्रावली दिनांक 7।11।25 को पेश हो

WB
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

7।11।25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारगण उप0। पत्रावली वास्ते आदेश नियम ~~बहस~~ हेतु दिनांक 14।11।25 को पेश हो। WB

14।11।25 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावादी उप0। मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] स्वीकार किया जाता है। वास्ते [illegible] हेतु दिनांक 21.11.2025 को पेश हो। WB

21.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावादी उप0। आदेश पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। WB

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मु0नं0 38 / 2025

1.शिवराज पुत्र छगना जाति जाट उम्र 36 साल निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. रामकन्या पत्नि रामचन्द्रा
2. नेराज पुत्री रामचन्द्रा
3. निरमा पुत्री रामचन्द्रा
4. ललिता पुत्री रामचन्द्रा

   सर्वजाति रेगर सर्व निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0

5. भू–धारी जरिये श्रीमान तहसीलदार अराई
6. बैक ऑफ बडोदा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा दादिया तहसील अराई

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 21-11-2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी रामदेव गुर्जर एड़वोकेट

वकील अप्रार्थी योगेश शर्मा

2. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के कब्जे काश्त, एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अंराई के वर्तमान खसरा नम्बर 969 रकबा 3.8023 हैक्टेयर भूमि है। जिस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 969 में आने–जाने के लिये कोई भी सस्ता, लघुतम, सरल, सनिकट, वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता नहीं हैं प्रार्थी की आराजी में आने–जाने के लिये केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की आराजी ग्राम दादिया के खसरा नम्बर 938 / 3134 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि है जो प्रार्थी ग्राम दादिया के खसरा नम्बर 938 / 3126 गै०मु०रास्ता के लगते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 938 / 3134 से होते हुये (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नम्बर 969 पर आते–जाते है एवं इसी संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी दर्शित रास्ते से अपने मवैशियों को लाने–ले जाने एवं कृषि यंत्र, ट्रेक्टर लाने–ले जाने के लिये कदमी रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। जो प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा में लाल रंग से ए से बी दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 969 में आने जाने एवं ट्रेक्टर ट्रोली, फसल, कृषि यंत्र एवं मवेशियों को लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की आराजी खसरा नम्बर 938 / 3134 रकबा भूमि है जो प्रार्थी ग्राम दादिया के खसरा नम्बर 938 / 3126 गै०मु०रास्ता के लगते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 938 / 3134 से होते हुये (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग ए से बी

है) रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग करते है। प्रार्थी को उक्त रास्ता प्राप्त करना अतिआवश्यक है कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी में जा सके अन्यथा प्रार्थी अपनी आराजी मवेशी, ट्रेक्टर–ट्रोली, घास–पुस, कृषि यंत्र लाने–ले जाने में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्तनिय क्षती होगी। प्रार्थी द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में जो प्रार्थी का चाहा गया सबसे निकटतम एवं उत्तम, सुलभ रास्ता ए से बी दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 969 में आने जाने एवं कृषि कार्य करने हेतु सबसे सरलतम, लघुतम, सनिकट एवं अतिआवश्यक एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की आराजी ग्राम दादिया के खसरा नम्बर 938/3134 की भूमि है जो प्रार्थी (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) जो खसरा नम्बर 938/3134 में से 30 फीट रास्ते हेतु प्रार्थी नियमानुसार अर्थात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डि०एल०सी० राशी प्रदत्त करने के लिये तैयार व तत्पर है, यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्रीमान् के सेवा में पेश किया जा रहा है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिये रास्ता होना विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थी की निजी आवश्यकता है अन्य कोई आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थीयागण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–ए के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को देने को तत्पर है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धारित मूल्य प्राप्त करने में असमर्थता प्रकट करते है तो प्रार्थी सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को राजकीय कोष में जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 09.07.2025 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थी अपनी एकल खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 969 में कृषि कार्य हेतु कदमी रास्ते, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की आराजी खसरा नम्बर 938/3134 भूमि है जो (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) से होते हुये अपने खेत मे कृषकिय कार्य हेतु औजार से भरा ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा मना कर दिया एवं अवरोध उत्पन्न करने पर उतारू हो गये परन्तु प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के अकृत्य को विफल कर दिया एवं प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी, नक्शा) की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात 938/3134 के खातेदार रामचन्द्रा पुत्र बीजा फौत होने से व विरासतन नामान्तकरण नहीं खुलवाने से रामचन्द्रा पुत्र बीजा का नाम जमाबन्दी मे आ रहा है इसके विधिक वारीसान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को रामचन्द्रा पुत्र बीजा के स्थान पर पक्षकार कायम किया गया है जो इनको खातेदार रामचन्द्रा पुत्र बीजा के समान ही माना व समझा जावें। अप्रार्थी संख्या 6 के खसरा नम्बर 938/3134 की भूमि बैंक रहन दर्ज होने से पक्षकार कायम किया गया है, अप्रार्थी संख्या 5 भू–धारी होने व माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु पक्षकार कायम किया गया है। प्रार्थी के कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अंराई में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 969 रकबा 3.8023 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी को आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु ग्राम दादिया के खसरा नम्बर 938/3126 गै०मु०रास्ता के लगते हुये खसरा नम्बर 938/3134 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) 30 फीट रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे एवं प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थी तैयार व तत्पर है।

अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 11.7.2025 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 15.10.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। वकील अप्रार्थी योगेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका वकील प्रार्थी ने जवाब पेश किया । दिनांक 14.11.2025 को वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई । उक्त प्रा0 पत्र 07 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र 251 (क) में चलने योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाता है । तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम दादिया तहसील अराई स्थित खसरा न0 969,938/3134 में आवागमन हेतु प्रार्थी ख0नं0 938/3125 रकबा 0.6877 हैक्टेयर में से होकर नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बिन्दु सी व डी तक आवागमन वर्षो से करते आ रहे है कि चूंकि ख0नं0 967,968 प्राथी व परिवारजनो की है में से होकर खसरा नं0 969 में आवागमन करता है , बिन्दु सी से डी तक मौके पर 8 मीटर चोडा रास्ता उपलब्ध है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है । जिसके द्वारा ख0नं0 969,968,967 व 838/3105 में आवागमन किया जाता है । प्रार्थी के पास मौके पर ख0नं0 938/3125 जोकि सिवायचक भूमि है मे वेकल्पिक रास्ता मौजूद है, जिसका रकबा 0.0500 हैक्टेयर है । मौके पर उपस्थित प्रार्थी ने बताया कि जो वैकल्पिक रास्ता अभी मौके पर मौजूद है वह लम्बी दूरी का है इसकी तुलना मे ख0न0 938/3134 में चाहा गया रास्ता कम दूरी

मै यहां से रास्ता लेना चाहता हू तथा पूर्व में भी इस जगह से आवागमन करता रहा हू । प्रार्थी रास्ता चाहा है उसको नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी दर्शाया गया है । बिन्दू ए से बी तक 15 फीट रास्ता दिये जाने पर कुल 0.0146 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में लाई जाएगी । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है । प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा नं0 1971 में ग्राम अराई से रास्ता कृषि भूमि में जाता है खसरा नं0 1920 व 2003 से अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है उक्त रास्ते का राजस्व ट्रेस में इन्द्राज है रास्ता मौजूद होते हुए नया रास्ता प्राप्त नही कर सकता है ।हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:–

–: आदेश :–

प्रार्थी की **कृषि भूमि** ग्राम दादिया तहसील अराई स्थित खसरा न0 969,968,967,938/3105 में आवागमन हेतु प्रार्थी में आवागमन ख0नं0 938/3134में चाहा गया रास्ता कम दूरी का होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट क्रमांक **भू0अ0/2025/5702–03दिनांक 6.10.2025** के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि रकबा 0.0146 हैक्टैयर की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,30,000/– अनुसार मूल्य 7738/– रूपये बनती है जिसकी दुगुना राशि 15476/– अक्षरे पन्द्रह हजार चार सो छियत्तर रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि **कृषि भूमि** ग्राम दादिया तहसील अराई स्थित खसरा न0 969,968,967,938/3105 में आवागमन हेतु प्रार्थी में आवागमन ख0नं0 938/3134में आवागमन के लिये में से रास्ते हेतु भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की वर्तमान प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,30,000/– अनुसार मूल्य 7738/– रूपये बनती है जिसकी दुगुना राशि 15476/– अक्षरे पन्द्रह हजार चार सो छियत्तर रूपये प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21-11-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)